

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./सवि./ए/78/2011/551

भोपाल, दिनांक 22/11/11

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती पूजा गुप्ता अध्यापक शा.मा.शा. नरवार जिला उमरिया	BE7981	231509129 02	जिला पंचायत उमरिया जिला उमरिया जा.क्र.1026दि. 20.05.11	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र.1725दि. 29.06.11 शा.उ.मा.वि. खितौली	233803777 03
2	श्रीमती किरण पटेल सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. छतैनी डोल जिला सिंगरौली	BC1796	235002182 04	जनपद पंचायत देवसर जिला सिंगरौली जा.क्र.1067दि. 20.05.11	जनपद पंचायत मानपुर जिला उमरिया जा.क्र.2656दि. 26.03.11 शा.प्रा.वि. सरौहां टोला	231509121 02
3	श्रीमती रेखा उइके सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. बिरजाखेडी जिला हरदा	AL4586	233601135 01	जनपद पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क्र.1275दि. 23.04.11	जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल जा.क्र.1452दि. 11.07.11 शा.प्रा.शा. वरखेडी बाज्याप्त	233203015 03
4	श्री शेख आजाद अहमद सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. धमना जिला अशोकनगर	AC2467	234602023 01	जनपद पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र.2687दि. 28.06.11	जनपद पंचायत बदरवास जिला शिवपुरी जा.क्र.1201दि. 05.07.11 उ.प्रा.शा. हरि. दादूखेडी	230603250 01
5	श्री लखन सिंह रघुवंशी सहायक अध्यापक उ.प्रा.शा. हरि. दादूखेडी जिला शिवपुरी	BA9130	230603250 01	जनपद पंचायत बदरवास जिला शिवपुरी जा.क्र.1201दि. 05.07.11	जनपद पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र.2687दि. 28.06.11 शा.प्रा.वि. धमना	234602023 01
6	श्रीमती वंदना निकम सहायक अध्यापक शा.मा.शा. राघोगढ़ जिला देवास	BH4365	232301124 03	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.5553 दि.23.11.10	जनपद पंचायत सावेर जिला इंदौर जा.क्र.1534दि. 07.07.11 शा.प्रा.वि. मांगलिया	232604042 02





7	श्रीमती भारती शिवहरे सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. टोककलां जिला देवास	BH2687	232302007 09	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.1236दि. 28.05.11	जनपद पंचायत सांवेर जिला इंदौर जा.क्र.1535दि. 07.07.11 शा.मा.वि. मांगलिया	232604098 02
8	श्रीमती पुष्पा देवी सुमन सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. हिन्ताईरुमरी जिला दमोह	AH7160	231203145 01	जनपद पंचायत दमोह जिला दमोह जा.क्र.4739दि 08.11.10	जनपद पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.6072दि. 08.07.11 शा.प्रा.वि. पडरिया	233904060 01
9	श्रीमती आभा सक्सेना अध्यापक (कला) शा.मा.शा. राउपुरा जिला भिण्ड	BG2379	230303014 02	जिला पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड जा.क्र.9403 दि 23 .11.10	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र.6111दि. 13.07.11 शा.हाईस्कूल सौसा	230404666 04
10	कु. शारदा माधनकर अध्यापक (गणित) शा.नवीन मा.शा. लछौरा जिला हरदा	AL5477	233602039 02	जिला पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क्र.4192दि 03.06.11	जिला पंचायत बैतूल जिला बैतूल जा.क्र.4417दि. 07.07.11 शा.हाईस्कूल चांदबेहडा	233503888 10
11 पा र र पा रि क 12	मो. अमीन मंसूरी अध्यापक शा.उ.मा.वि. खाचरौद जिला उज्जैन		232104777 01	नगर पालिका परिषद् खाचरौद जिला उज्जैन जा.क्र.1228दि. 28.06.11	नगर पालिका परिषद् जावरा जिला रतलाम जा.क्र.1063दि. 29.06.11 शा.म.गा.उ.मा.वि. जावरा	232003777 01
	श्री भगवान लोबानिया अध्यापक शा.म.गा.उ.मा.वि. जावरा जिला रतलाम	BI5600	232003777 01	नगर पालिका परिषद् जावरा जिला रतलाम जा.क्र.1063दि. 29.06.11	नगर पालिका परिषद् खाचरौद जिला उज्जैन जा.क्र.1228दि. 28.06.11 शा.उ.मा.वि. खाचरौद	232104777 01
13	श्रीमती वंदना तिवारी अध्यापक (कला) शा.मा.शा. गुल्लास जिला हरदा	AL4132	233602030 03	जिला पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क्र. 7668 दि 09.11.10	जिला पंचायत होंशगाबाद जिला होंशगाबाद जा.क्र.6973दि. 15.07.11 शा.मा.शा. ब्यावरा	233707166 02
14	श्रीमती सुषमा मेहरा अध्यापक (विज्ञान) शा.पूर्व मा.शा. अकला जिला सीधी	BC1131	231704074 02	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र. 5524 दि 01.06.11	जिला पंचायत होंशगाबाद जिला होंशगाबाद जा.क्र.6663दि. 05.07.11 शा.उ.मा.वि. सांगाखेडाकला	233702777 05
15	श्रीमती शिखा जैन वरि.अ. (जीव विज्ञान) शा.उ.मा.वि. मानपुर जिला उमरिया	BE7688	231509777 04	जिला पंचायत उमरिया जिला उमरिया जा.क्र. 5617 दि 29.09.11	जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.7152दि. 13.07.11 शा.उ.मा.वि. डकाच्या	232604777 05
16	श्रीमती निधि दुबे अध्यापक (गणित) शा.क.हाईस्कूल मुकुंदपुर जिला सतना	AV8755	231301094 09	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र. 141 दि 09.05.11	नगरपालिक निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र.1406दि. 08.07.11 शा.पूर्व मा.वि. बदरांव	231401005 03

M


b

17	श्री सुकलाल चक्रवर्ती अध्यापक (गणित) शा.मा.शा. मेहगांव तिलिया जिला पन्ना	AT2636	231005164 02	जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना जा.क्र. 6718 दि 13.05.11	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र.2166दि. 14.07.11 शा.नवीन मा.शा. धुडहर	233804005 03
	श्री विद्यासागर कुररिया अध्यापक (गणित) शा.नवीन मा.शा. धुडहर जिला कटनी	AN7050	233804005 03	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र.2166दि. 14.07.11	जिला पंचायत पन्ना जिला पन्ना जा.क्र. 6718 दि 13.05.11 शा.मा.शा. मेहगांव तिलिया	231005164 02

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि ये तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


“ आयुक्त द्वारा अनुमोदित ”


 उप संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
 22/11/11

पृष्ठा. क्रं./शि.क./संवि./ए/78/2011/552
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 22/7/11

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक 22/7/11

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

